संख्याः 886/79-6-2008

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 11 जून, 2008

विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भो0प्रा0/19834/2007-08 दिनांक 24.03.2008 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के सरकारी, परिषदीय और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों में कक्षा-1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को पका-पकाया भोजन सितम्बर, 2004 से उपलब्ध कराया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2007 से योजनान्तर्गत प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित राजकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों में अध्ययनरत छात्रों को भी पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. भारत सरकार के निर्देशानुसार माह अक्टूबर, 2007 से यह योजना शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू की गयी है। यह योजना राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन सरकार द्वारा सहायकता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू की गयी। प्रदेश के सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग-3122 (सूची संलग्न) है। इस प्रकार के विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन का कार्य प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दिनांक 05.03.2008 की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं स हायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के लिए संस्था प्रबन्धक एवं अभिभावक संघ के एक सदस्य को उत्तरदायित्व सौपा जाय। इस प्रकार वे मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत को प्राप्त करने एवं छात्रों को गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस योजनान्तर्गत इन विद्यालयों को प्राप्त परिवर्तन लागत के आहरण का कार्य संस्था प्रबन्धक एवं अभिभावक संघ के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के निर्धारित अभिलेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की होगी। स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान एवं वार्ड सभासद उपरोक्त विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का पर्यवेक्षण करेंगे।

अतः अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु उपरोक्त दिए गये निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह0

(राज प्रताप सिंह)
सचिव

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
5. नियोजन विभाग अनुभाग–4, उ0प्र0।
6. वित्त ई–11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)

संयुक्त सचिव